उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 60/2021/2021/1372933/12-2099/95/2021-
लखनऊ: दिनॉक: 21 सितम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में, उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजनान्तर्गत, सिंगल नोडल एजेन्सी/योजना के संचालन हेतु, शासन के कार्यालय-आदेश संख्या: 38/2021/1359/ 1372933/12-2099/95/2021- दिनॉक 07 जुलाई, 2021 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को सिंगल नोडल एजेन्सी एवं जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक को इम्प्लीमेंटिग एजेन्सी नामित किया गया है।

2. प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेज्डियू योजना के सुचारू संचालन, धनराशि के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु पी0एफ0एफ0एस0 व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू किए जाने तथा लाभार्थियों के अनुदान भुगतान त्वरित गति से किए जाने हेतु इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी (जनपदीय उप कृषि निदेशक स्तर पर) जीरो बैलेन्स सब्सीडियरी बैंक खाता प्रदेश के समस्त जनपदों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खाता खोला जाए, तथा, भारत सरकार एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 60/2021/1372933(1)/12-2099/95/2021- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. निदेशक, एफ9सी9डी9, वित्त मंत्रालय, पी0एफ0एम0एस0 डिवीजर, भारत सरकार, नई दिल्ली,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक-अभि0/473/पी0;एफ0एम0एस0/इन-सीटू/लेखा/2021-22 दिनॉक 06 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में, अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
6. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, बजट अनुभाग-1/2, कृषि अनुभाग-3/5, नियोजन अनुभाग-3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।